FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT
OF JOINT COMMITTEE
IN OA 44/2021 (CZ)

Anuj Kumar Yadav

VS

State Of M.P and Ors

COMMITTEE MEMBERS

1. Sub Divisional Officer(Revenue), District-Niwari
2. Tehsildar ,Niwari, District-Niwari
3. Sub-Engineer, Pollution Control Board , Sagar

–निरीक्षण रिपोर्ट–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्र. क. 44/2021 (अनुज कुमार यादव विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.07.2021 के पालनार्थ समिति द्वारा दिनांक 06.10.2021 को किये गये निरीक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. उद्योग का नाम – मे. दीप इण्ड. (खदान/केशर इकाई)
2. उद्योग स्थल का पता – ख.नं. 306 ग्राम–बाबई, तह. व जिला निवाड़ी (म.प्र.)
3. निरीक्षणकर्ता सदस्यों के नाम – 1. अनुविभागीय अधि. (राजस्व) निवाड़ी
   2. तहसीलदार, निवाड़ी
   3. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रनिबो. सागर
4. उद्योग प्रतिनिधि का नाम – श्री अमित मिश्रा, खदान प्रबंधक

5. प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में विवरण –
मेसर्स दीप इण्ड (खदान तथा केशर इकाई) ग्राम–बाबई तह. व जिला–निवाड़ी के ख.नं. 306 में स्थापित है। इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु तीन तरफ से एमएस शीट की 12 फिट ऊँची बाउण्ड्री वाल बनाई गई है, धूल उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों पर वॉटर स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था की गई तथा बाईब्रेटरी स्कीन को एमएस शीट से कवर किया गया है। इसी प्रकार सुरक्षा हेतु आवॅटित लीज क्षेत्र में वायर फेंसिंग की गई है तथा खदान क्षेत्र में वाहनों के आवागमन के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु टैंकर्स के माध्यम से जल छिड़काव किया जाता है। निरीक्षण दिवस खदान से पत्थर उत्खनन व स्टोन केशर से गिट्टी निर्माण संबंधी कार्य बंद पाया गया है। खनिज विभाग निवाड़ी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केशर/खदान में दिनांक 29.07.2021 से उत्पादन कार्य बंद है। निरीक्षण दिवस स्थल के लिये गये छायाचित्र संलग्न हैं। **(संलग्नक –1–)**

6. खदान के संबंध में विवरण–
कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) द्वारा सर्व प्रथम श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से पत्थर बोल्डर खदान, जिसका क्षेत्रफल 4.00 हेक्टे. है, उक्त लीज एग्रीमेंट दिनांक 01.03.2016 को 10 वर्ष की अवधि हेतु (दिनांक 30.12.2015 से दिनांक 29.12.2025 तक) किया गया था।

7. **पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में–**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) भोपाल द्वारा पत्र क्र. 2835 दि. 03.03.2015 को श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से ग्राम बाबई तह. व जिला निवाड़ी के खसरा क्र. 306 खदान का क्षेत्रफल 4.00 हेक्टे हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें पत्थर बोल्डर उत्खनन की क्षमता 8820 घनमीटर/वर्ष दी गई है।

8. **म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना/उत्पादन सम्मति–**

पत्थर बोल्डर खदान जिसका ख.नं. 306 रकबा 4.00 हेक्टे. ग्राम–बाबई तह. व जिला–निवाड़ी को सर्व प्रथम श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से ऑन लाईन स्थापना सम्मति, उत्पादन क्षमता– माईनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर– 8820 घनमी./वर्ष हेतु दिनांक 16.12.2016 को प्रदान की गई है। तत्पश्चात खदान से उत्पादन प्रारंभ करने हेतु खदान प्रबंधक को दिनांक 10.01.2018 को ऑन लाईन उत्पादन सम्मति प्रदान की गई है।

9. **खदान नामांतरण के संबंध में–**

पत्थर बोल्डर खदान के पट्टेदार श्री कैलाश नारायण गुप्ता द्वारा दिनांक 07.12.2019 को मे. दीप इण्ड. ग्राम–बाबई तह. व जिला–निवाड़ी के पक्ष में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) निवाड़ी के माध्यम से लीज की रजिस्ट्री कराई गई है। इसके पश्चात वर्तमान पट्टाधारी मे. दीप इण्ड. (खदान इकाई) को सशर्त जल/वायु सम्मति नवीनीकरण प्रदान किया गया था। किन्तु वर्तमान पट्टाधारी दीप इण्ड. द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) भोपाल से पूर्व पट्टाधारी श्री कैलाश नारायण गुप्ता द्वारा प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में नाम परिवर्तन कराकर प्रस्तुत नहीं करने के कारण बोर्ड द्वारा खदान व केशर इकाई को जारी की गई सम्मति पत्र दिनांक 09.09.2021 को निरस्त किये गये हैं तथा खदान से उत्पादन कार्य बंद करने बावत् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 –क– तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 –क– के अन्तर्गत दिनांक 09.09.2021 को बंधनकारी निर्देश जारी किया गया है तथा खनिज विभाग निवाड़ी को खदान की रायल्टी एवं पिटपास तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, पत्रों की प्रतियॉ संलग्न हैं। **(संलग्नक –2–)** उल्लेखनीय है कि वर्तमान पट्टाधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) भोपाल में ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। **(संलग्नक –3–)**

10. <u>निरीक्षण के दौरान पाई गई अद्यतन् स्थिति</u> –

कार्यालय कलेक्टर निवाड़ी द्वारा गठित समिति के निम्नानुसार सदस्यों द्वारा 06.10.2021 को दीप इण्डस्ट्रीज की खदान तथा केशर इकाई स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस खदान तथा केशर इकाई बंद पाई गई है। खदान प्रबंधन द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन कार्य किया गया है तथा खदान में चारों ओर तार फेंसिंग पाई गई है, अतः खदान से मानव तथा जानवरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना नहीं पाई है। खदान प्रबंधन द्वारा ब्लास्टिंग का कार्य जिला प्रशासन के निर्देशानुसार किया जाता है, चूँकि केशर व खदान के आस–पास कोई रहवासी मकान नहीं है, आबादी/ग्राम की दूरी लगभग 500 मीटर है। अतः ब्लास्टिंग से घरों को नुकसान होने जैसी स्थिति नहीं है। प्रकरण के संबंध में पूर्व में दि. 31.08.2021 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी, तहसीलदार निवाड़ी के साथ इस कार्यालय के उपयंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खदान के आस–पास के कृषकों के कथन लिये गये थे, जिसके अनुसार फसलों को नुकसान नहीं होने संबंधी जानकारी दी गई है तथा पंचनामा प्राप्त किया गया है, जो कि संलग्न है। **(संलग्नक –4–)**

उद्योग प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि, चूँकि खदान एवं केशर इकाई को जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति नवीनीकरण निरस्त किये गये है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में नाम परिवर्तन कराकर व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करने के उपरांत ही उत्पादन प्रारंभ करेंगे।

तहसीलदार निवाड़ी	क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर	अनुविभागीय अधि. (राजस्व) निवाड़ी

संलग्नक-1

पट्टे धारक का नाम- दीप इंडस्ट्रीज
निवाड़ी (म.प्र.)
पट्टा अवधि- 30-12-2015 से
29-12-2025 तक
GPS Map Camera
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.407493°
Long 78.764473°
06/10/21 10:36 AM
Google

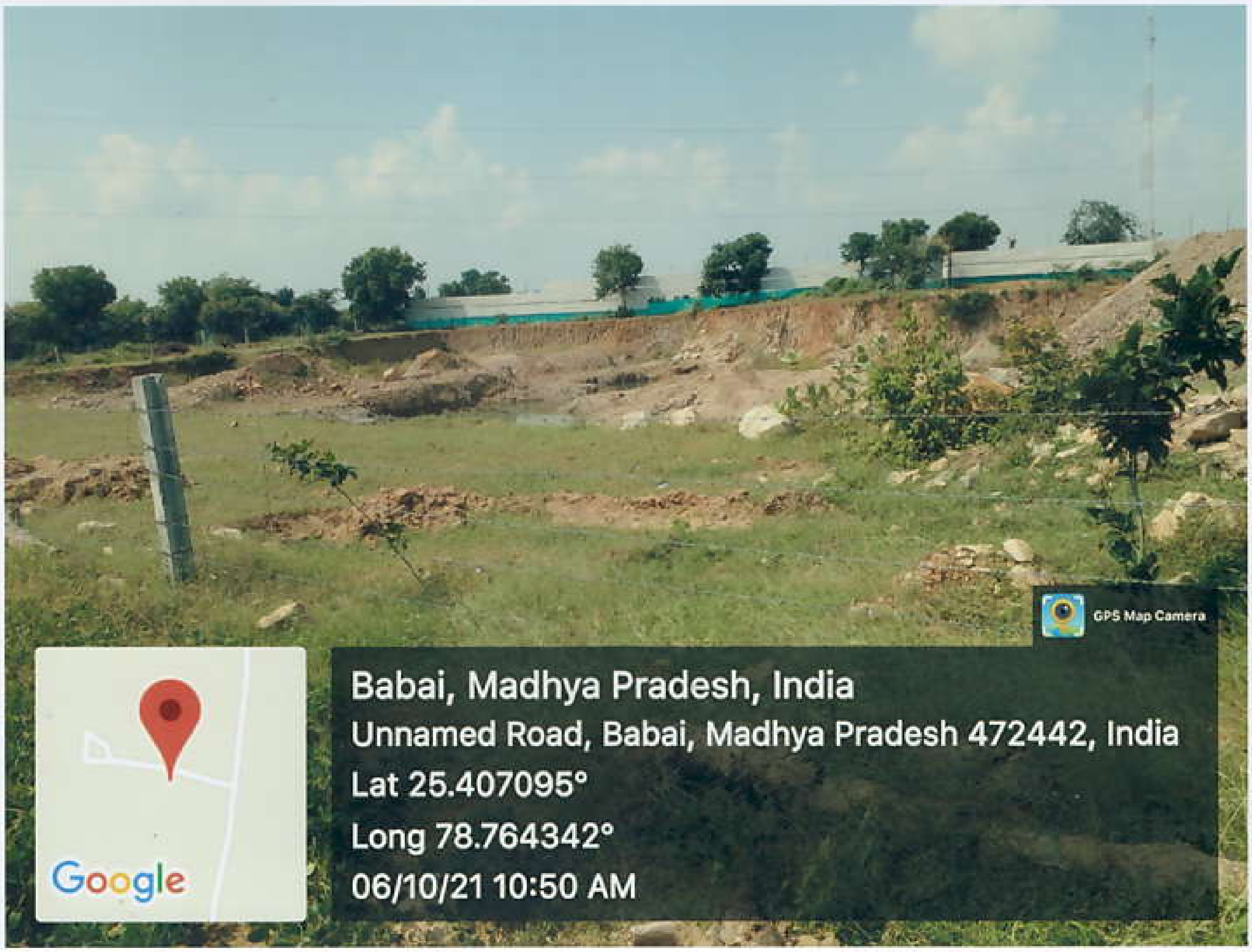
GPS Map Camera
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.407095°
Long 78.764342°
06/10/21 10:50 AM
Google

GPS Map Camera
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.406909°
Long 78.762202°
06/10/21 11:59 AM

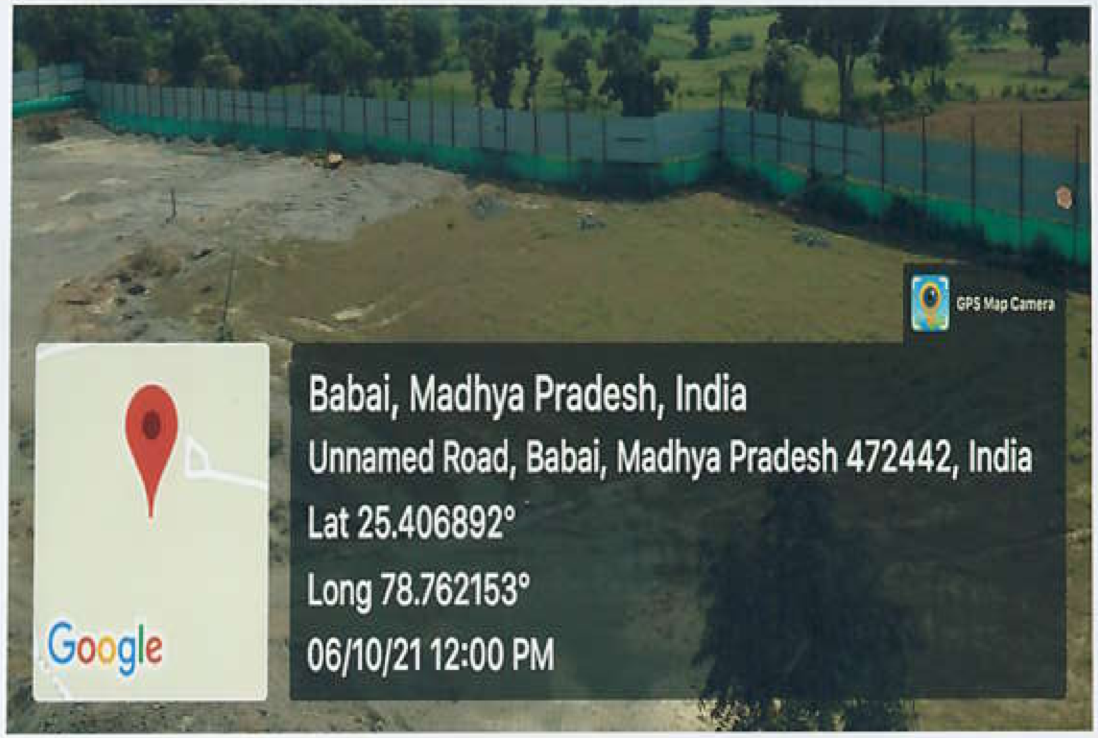
GPS Map Camera
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.406892°
Long 78.762153°
06/10/21 12:00 PM
Google

GPS Map Camera
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.406892°
Long 78.762153°
06/10/21 12:00 PM

Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.406995°
Long 78.762233°
06/10/21 11:54 AM
Google

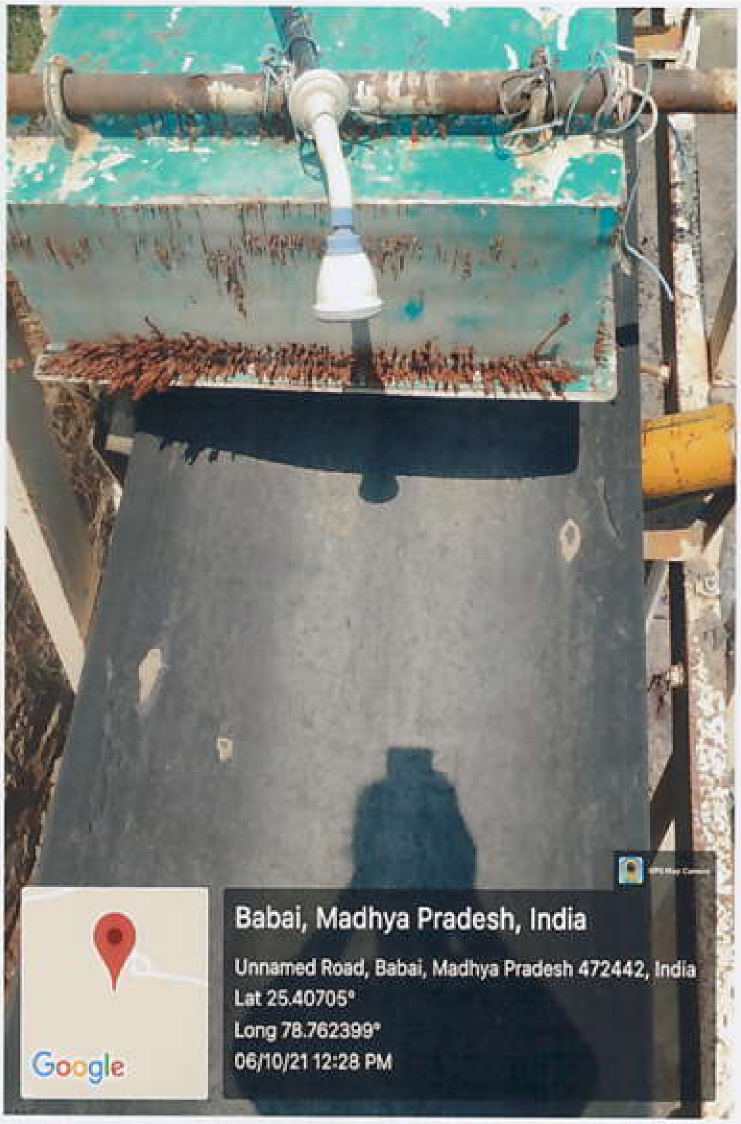
Google
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.40705°
Long 78.762399°
06/10/21 12:28 PM

Google
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.407053°
Long 78.762764°
06/10/21 12:26 PM

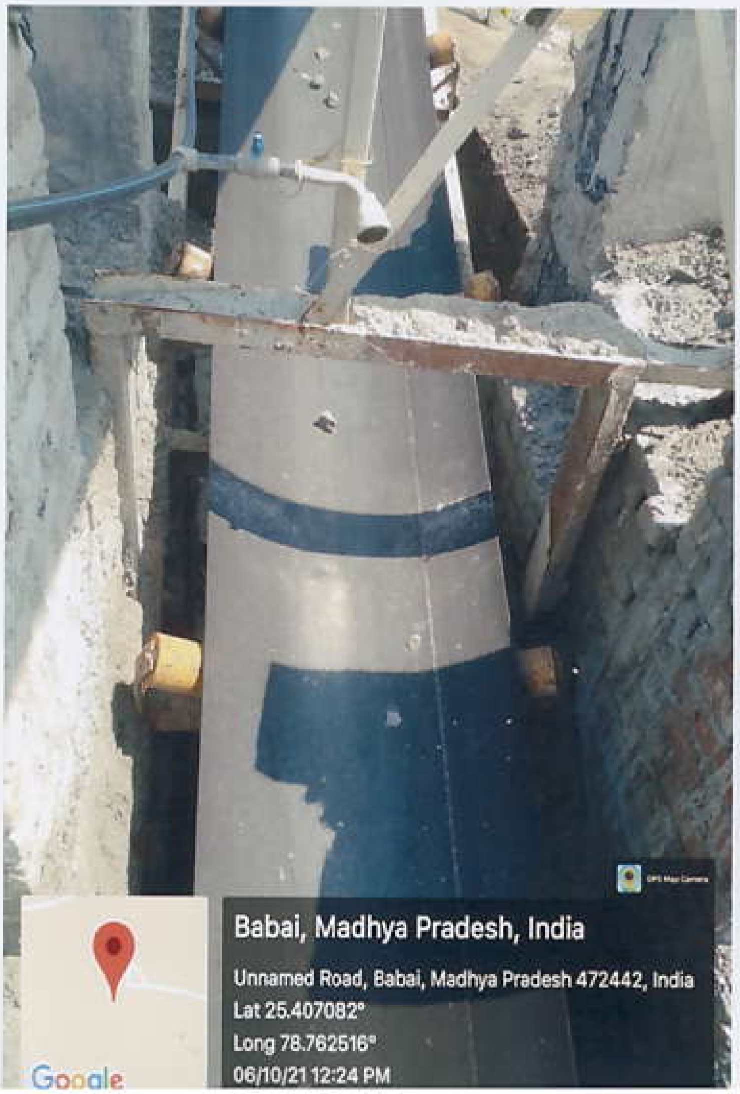
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.407082°
Long 78.762516°
06/10/21 12:24 PM

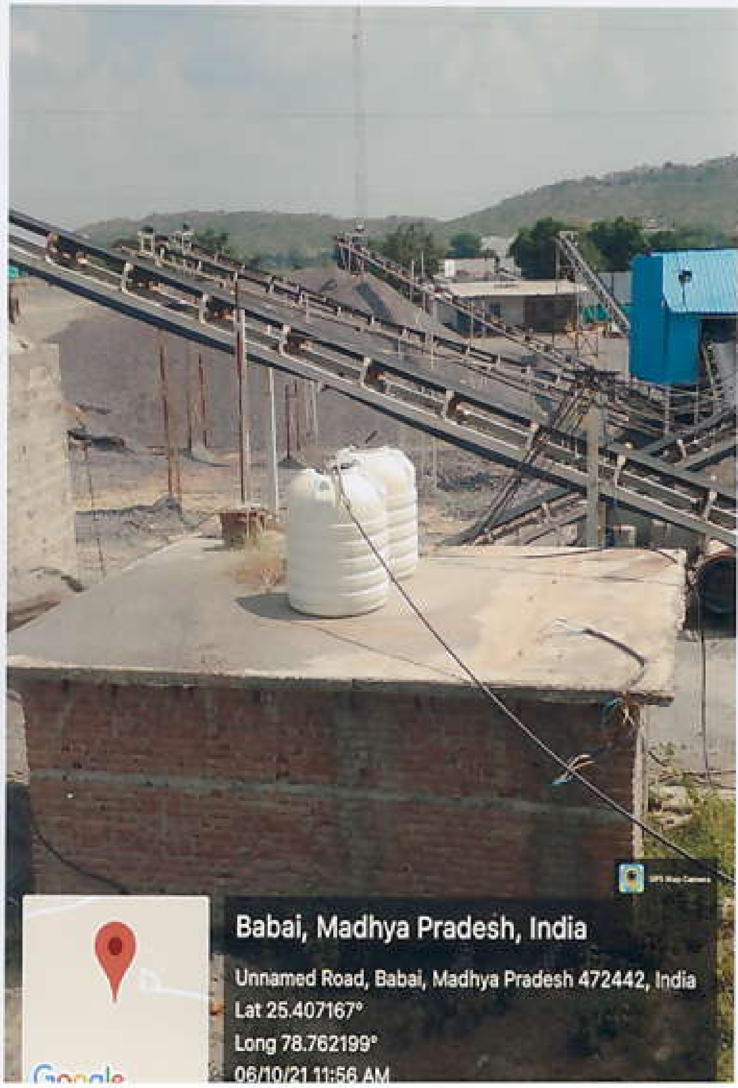
Babai, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Babai, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.407167°
Long 78.762199°
06/10/21 11:56 AM

सलंग्नक - 2

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर
Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

क्रमांक 1022/क्षे.का/प्रनिबो/2021 सागर, दिनांक 9/9/21

प्रति

प्रबंधक,
मे. दीप इण्ड. (केशर इकाई)
ग्राम–बाबई, जिला–निवाड़ी।

विषय :– बोर्ड द्वारा जारी जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत् प्रदत्त सम्मति (CTO) निरस्त करने बावत्।

सन्दर्भः– इस कार्यालय द्वारा जारी सम्मति पत्र (CTO) दिनांक 15.11.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भ में लेख है कि आपके द्वारा वर्तमान में मे. दीप इण्डस्ट्रीज (केशर इकाई) के नाम से स्टोन केशर का संचालन श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से पूर्व में स्वीकृत पत्थर बोल्डर खदान ख.नं. 306 रकबा 4.00 हेक्टे. (खदान क्षेत्र) में उत्पादन क्षमता स्टोन गिट्टी 8820 घनमी./वर्ष ग्राम बाबई जिला निवाड़ी में किया जा रहा है।

आपके द्वारा उक्त खदान का अंतरण दिसम्बर 2019 में मे. दीप इण्डस्ट्रीज के नाम से करा लिया गया है किन्तु खदान अंतरण पश्चात स्टोन केशर से संलग्न खदान मे. दीप इण्डस्ट्रीज के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति में SEIAA से नाम परिवर्तन कराकर बोर्ड में जमा नहीं कराया गया है तथा स्टोन केशर का संचालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में स्टोन केशर से संलग्न खदान के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्र. क. 44/2021 (अनुज कुमार यादव विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) प्रचलन में है।

अतः बोर्ड द्वारा मे. दीप इण्डस्ट्रीज (केशर इकाई) के नाम से संचालित स्टोन केशर को जारी किया गया सम्मति पत्र (CTO) दिनांक 15.11.2021 जिसकी वैद्यता दिनांक 01.11.2021 तक है, उक्त के प्रकाश में एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर
सागर, दिनांक 9/9/21

पृ.क. 1023/क्षे.का/प्रनिबो/2021

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला–निवाड़ी की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. खनिज अधिकारी, खनिज विभाग जिला–निवाड़ी की ओर सूचनार्थ लेख है कि कृपया स्टोन केशर से संलग्न खदान को रायल्टी जारी नहीं करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर

15/09/2021

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर

Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

क्रमांक 1020 /क्षे.का/प्रनिबो/2021 सागर, दिनांक 9/9/21

प्रति

प्रबंधक,
मे. दीप इण्ड. (खदान इकाई)
पूर्व नाम– मे. कैलाश नारायण गुप्ता (खदान इकाई)
ग्राम–बाबई, जिला–निवाड़ी।

विषय :– बोर्ड द्वारा जारी जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत् प्रदत्त सम्मति निरस्त करने बावत्।

सन्दर्भ:– इस कार्यालय द्वारा जारी सम्मति नवीनीकरण पत्र आउटवर्ड क. 18606 दिनांक 01.08.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भ में लेख है कि आपके द्वारा वर्तमान में मे. दीप इण्डस्ट्रीज (खदान इकाई) के नाम से खदान का संचालन किया जा रहा है, जो कि पूर्व में श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से पत्थर बोल्डर खदान ख.नं. 306 रकबा 4.00 हेक्टे उत्पादन क्षमता 8820 घनमी./वर्ष ग्राम बाबई जिला–निवाड़ी (पूर्व जिला टीकमगढ़) में संचालित की जा रही थी।

उक्त खदान को SEIAA के पत्र क. 2835 दि. 03.03.2015 द्वारा ख.नं. 306 रकबा 4.00 हेक्टे ग्राम बाबई तह. व जिला–निवाड़ी (पूर्व जिला–टीकमगढ़) में पत्थर खनन क्षमता 8820 घनमी./वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात आपके द्वारा उक्त खदान का अंतरण दिसम्बर 2019 में मे. दीप इण्डस्ट्रीज के नाम से करा लिया गया है, किन्तु मे. दीप इण्डस्ट्रीज के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में SEIAA से नाम परिवर्तन कराकर बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में खदान के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्र. क. 44/2021 (अनुज कुमार यादव विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) प्रचलन में है।

अतः बोर्ड द्वारा मे. दीप इण्डस्ट्रीज (खदान इकाई) के नाम से संचालित खदान को प्रदत्त की गई सम्मति/सम्मति नवीनीकरण पत्र जिसका आउटवर्ड क. 18606 दिनांक 01.08.2021 है तथा वैद्यता दिनांक 18.07.2022 तक है, उक्त के प्रकाश में एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

(व्ही.एस.राय)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

पृ.क. 1021 /क्षे.का/प्रनिबो/2021 सागर, दिनांक 9/9/21

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला–निवाड़ी की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. खनिज अधिकारी, खनिज विभाग जिला–निवाड़ी की ओर सूचनार्थ लेख है कि कृपया खदान को रायल्टी जारी नहीं करें।

(व्ही.एस.राय)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

15/09/2021

15/09/2021

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर
Telefax-07582-263774, E-mail-romppcb_sagar@rediffmail.com

सागर, दिनांक 09/09/21

कमांक 1024 /क्षे.का/प्रनिबो/तक/2021

प्रति,

प्रबंधक,
मे. दीप इण्ड. (खदान इकाई)
ग्राम–बाबई, जिला–निवाड़ी।

विषय :– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 – क – एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 –क – के प्रावधानों के तहत् खदान से उत्खनन कार्य बंद करने के संबंध में निर्देश।**

सन्दर्भः– **इस कार्यालय के पत्र क. 1020 दिनांक 09.09.2021**

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि :–

1. यह कि, आपके द्वारा मे. दीप इण्डस्ट्रीज (खदान इकाई) के नाम से खदान का संचालन किया जा रहा है, जो कि पूर्व में श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से पत्थर बोल्डर खदान ख.नं. 306 रकबा 4.00 हेक्टे. उत्पादन क्षमता 8820 घनमी./वर्ष ग्राम बाबई जिला–निवाड़ी (पूर्व जिला टीकमगढ़) में संचालित की जा रही है। खदान को जल/वायु अधिनियमों के तहत् प्रदत्त सम्मति की वैद्यता दि. 18.07.2022 तक है तथा जिसका आउटवर्ड नं. 18606 दि. 01.08.2021 है।
2. यह कि, आपकी खदान इकाई को बोर्ड द्वारा प्रदत्त जल तथा वायु सम्मति इस कार्यालय के पत्र क. 1020 दिनांक 09.09.2021 द्वारा निरस्त की गई है।
3. यह कि, उक्त खदान को SEIAA के पत्र क. 2835 दि. 03.03.2015 द्वारा ख.नं. 306 रकबा 4.00 हेक्टे ग्राम बाबई तह. व जिला–निवाड़ी (पूर्व जिला–टीकमगढ़) में पत्थर खनन क्षमता 8820 घनमी./वर्ष हेतु श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात आपके द्वारा उक्त खदान का अंतरण दिसम्बर 2019 में मे. दीप इण्डस्ट्रीज के नाम से करा लिया गया है, किन्तु मे. दीप इण्डस्ट्रीज के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में SEIAA से नाम परिवर्तन कराकर बोर्ड मे प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान मे खदान के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्र. क. 44/2021 (अनुज कुमार यादव विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) प्रचलन में है।

यह कि, आपके द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) अधिनियम 1974, की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, की धारा 21 का उल्लंघन करने के कारण उपरोक्त वर्णित अधिनियमों में बोर्ड को प्राप्त शक्तियों के आधार पर आपको निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1) यह कि, आप मे. दीप इंण्डस्ट्रीज के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में SEIAA से नाम परिवर्तन कराकर बोर्ड में प्रस्तुत करें।
2) यह कि, खदान इकाई से तत्काल उत्खनन कार्य बंद किया जाये।

उपरोक्तानुसार यदि खदान या उससे संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त निर्देश की अवहेलना की जाती है, तो खदान प्रबंधक (खदान संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों) के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 तथा 39 के तहत् न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी

कृपया पत्र की पावती भेजें।

(व्ही. एस. राय)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

पृ.क्र. 1025 /क्षे.का/प्रनिबो/तक सागर, दिनांक 09/09/21

प्रतिलिपी :–

1. कलेक्टर जिला– निवाड़ी की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. खनिज अधिकारी, खनिज विभाग निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि खदान की रायल्टी / भण्डारण हेतु जारी पिटपास तत्काल प्रभाव से बंद करने का कष्ट करें।

(व्ही. एस. राय)
क्षेत्रीय अधिकारी, सागर

संलग्नक - 3

Form-7

APPLICATION FOR TRANSFER OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

(To be filled up by User Agency)

1. Details of Earlier Project Proponent

Proposal No. : SIA/MP/MIN/228300/2021

(a) Name of the project : Babai Stone Quarry

(b) Name of the Company/Organisation Name : Kailash Narayan Gupta

(c) Registered Address : 172/2 Bahar Datia Gate Jhansi

(d) Legal Status of the Company : 7

(e) Joint Venture (Yes/No) : No

2. Details of New Project Proponent

(a) Name of Company / Organisation. : BABAI STONE QUARRY OF M/S DEEP INDUSTRIES

(b) Registered Address. : 402, Badagaon Gate Bahar Jhansi Madhya Pradesh 284002

(c) Legal Status of the Company. : Private

(d) Joint Venture (Yes/No). : No

3. Address for the Correspondence

(a) Name of the Applicant. : Amit Mishra

(b) Designation (Owner/Partner/CEO) : Partner

(c) Address :-

State : Madhya Pradesh

District : Tikamgarh

Town / Village : No

(d) Pin Code : 284002

(e) Email : amitmisha05444@gmail.com

(f) Telephone no : 4213296

(g) Fax no : No

(h) Mobile no : 9936051000

(i) Contact Person. : Amit

(j) Website (if any) : No

4. Category of the Project/Activity as per Schedule of EIA Notification,2006

(a). Major Activity. : 1(a) Mining of minerals

Minor Activity : No

Major Sub Activity. : No

Minor Sub Activity : No

(b). Category : B2

Reason for applicant at central level/state level(in case of B1 and B2): No

(c). Reason : No

5. Details of Environmental Clearance

(a) Project Name : Babai Stone Quarry

(b) MoEF&CC / SEIAA File No : 1943/2014

(c) Date of issue of EC : 03/03/2015

(d) Uploaded EC letter :

6. Details of Consent to Establishment

(i) Whether Consent to Establishment obtained (Yes/No) ? : No

7. Status of Implementation of Project

Uploaded details of Physical process made on the project / facilities / activities for which environmental clearance was granted:

8. Documents to be Attached:-

(a) Uploaded No Objection from the transferor:

(b) Uploaded undertaking by transferee stating regarding acceptance of the terms and conditions was granted:

(c) Uploaded Copy of Transfer of the firm from competent authority:

(d)Uploaded Cover Letter duly signed by the project proponent or authorized person:

(e)Uploaded a copy of authorization duly signed by the project proponent in support of the person making this application on behalf of the User Agency:

(f)Uploaded Additional File, If any : No Data

Essential Details Sought

Essential Details Sought			
S.no.	EDS Sought Date	EDS Sought	Letter
NIL			

Additional Detail Sought: NIL

Transfered(Category A To B) Details

Transfered(Category A To B) Details					
S.no.	Category A Proposal No	Category B Proposal No	Transfer Date	Reason	Letter
NIL					

9. Undertaking:-

(a): I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, The project will be rejected and clearance given, If any to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to above, I hereby give undertaking that no activity / construction / expansion has since been taken up.

(b)Name : Amit Mishra

(c)Designation: Partner

(d)Company: BABAI STONE QUARRY OF M/S DEEP INDUSTRIES

(e)Address: 402, Badagaon Gate Bahar Jhansi Madhya Pradesh 284002

पंचनामा

संलग्नक - 4

पंचनामा लिखा दिया है उपस्थित लोगों ने ऐसा कि आज दिनांक 31/8/2021 को स्थान ग्राम बारई तहसील निवाड़ी के भूमि खसरा नं. 306 के रकबा 4.000 हे० क्षेत्र पर कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 1046/स्टोनों./कले. नि./2021 निवाड़ी दिनांक 11/8/2021 के पालन में श्री सतीश चौकसे उपयंत्री मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, श्रीमान तहसीलदार निवाड़ी व हल्का पटवारी बारई उपस्थित हुए मौका पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल के प्रकरण क्रमांक 44/2021 दिनांक 09.07.2021 में पारित आदेश मुख्य बिंदुओं अनुसार में पाया कि स्थित दीप इण्डस्ट्रीज क्रेशर (क्रेशर व खदान) में चारों ओर तार फेंसिंग होना पाया गया. मौका पर स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य व क्रेशर स्थित होना पाया गया स्वीकृत क्षेत्र का बार्ड (संकेत) होना पाया गया. स्वीकृत क्षेत्र पर मुनारे होना पाये गये स्वीकृत क्षेत्र से लगे कृषकों से फसल के नुकसान (नष्ट) होने के संबंध में नहीं होना बतलाया तथा उपस्थित होकर कथन दिये गये जिसमें श्री सुनील कुमार यादव श्री दिलीप कुमार अहिरवार. श्री शंकर लाल नापित तथा श्री हरिराम रजक उपस्थित हैं। तथा उपस्थित लोगों ग्राम जनों द्वारा बतलाया कि यहाँ पर कोई जानवरों की क्षति नहीं हुई है तथा उपस्थित ग्राम जनों द्वारा बतलाया गया कि ब्लास्टिंग का समय निश्चित होने ~~[illegible]~~ के अनुसार 4 PM बजे से शाम 6 PM तक किया गया है तथा क्रेशर हेतु स्क्रीन सेट टीन सेट से कवर है तथा पानी के फव्वारे चालू होना पाये गये क्रेशर के चारों ओर से चद्दर से कवर किया गया

पंचनामा मौका स्थल पर लिखा कर सुनाया गया। तदपश्चात हस्ताक्षर कराये गये।

श्री सुनील कुमार यादव
S/o श्री पूरन लाल (बारई)

श्री दिलीप अहिरवार
S/o श्री रामदयाल (बारई)

श्री हरीराम रजक
S/o श्री नाथूराम (बारई)

श्री शंकर सेन
S/o श्री दुर्जन (बारई)

हरीराम रजक

शंकर

Tah Niwari

Sub engr
Pollution control Board
Sagar

P.T.O.

श्री रितेश रंजन पु० श्री हरिशंकर रंजन ठिकाना
नि० वाराणसी

Amit

AMIT MISHRA
(Partner)
Deep Industries

कथन

मै शंकरलाल पुत्र कुंदन जाति उम्र 45 नि. बावड़ी - व्यवसाय कृषक (मजदूरी)

मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे भाई के नाम क्रेशर एरिया से लगभग 500 मी. दूर खेती है। जिस पर कृषि कार्य करते है। वर्तमान मे मूंगफली, गेहूं इत्यादि बोते है। मेरी कृषि कार्य मे या उत्पादन मे मेरी समझ से क्रेशर कार्य द्वारा कोई नुकसान नही होता है। ना ही किसी जानवर की मृत्यु हुई है। मेरी जानकारी मे इनके द्वारा अवरीकोल्ड एरिया मे ही स्टोन क्रेशर द्वारा काम किया जाता है।
कथन किया जो सही समय वक्त पर काम आवे।

शंकर लाल
शंकरलाल S/O कुंदन
नि. बावड़ी

कथन

मै हरीराम पुत्र नाथूराम रजक उम्र 58 नि. बावड़ी व्यवसाय कृषक

मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि ग्राम बावड़ी मे मेरी भूमि ख.न. 289, 290 जो अभिलेख मे मेरे पिता के नाम है। जो स्टोन क्रेशर का सरहदी कृषक हूं जो मेरे ख.न. 306 से लगे है। उक्त भूमि पर मेरे द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। वर्तमान मे मेरे द्वारा मूंगफली लगी है। आज दिनांक तक स्टोन क्रेशर के संचालन से मेरी फसल एवं जानवरों को नुकसान नही हुआ है। वर्तमान मे स्टोन क्रेशर द्वारा अपने स्वीकृत व कैलिंग एरिया ही कार्य किया जाता है।
कथन किया जो समय वक्त पर काम

हरीराम
हरीराम S/O नाथूराम
रजक
नि. बावड़ी

कथन

मैं दिलीप कुमार S/O श्री रामदयाल अहिरवार उम्र 34 वर्ष
नि. बावई व्यवसाय कृषि

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि ग्राम बावई अंतर्गत भूमि ख.नं. 180 है। जो कि मेरे पिता रामदयाल के नाम से है जिस पर मेरे द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। दीप हेशर के संचालन से मेरी कृषि भूमि में कोई नुकसान नहीं है। वर्तमान में मेरे द्वारा मूंगफली की फसल लगाई गई है। मेरी जमीन दीप हेशर की फैंसिंग से 200 मी. की दूरी पर है। दीप हेशर के संचालन से वर्तमान तक किसी जनहानि व पशुहानि नहीं हुयी है। न ही किसी प्रकार का फसलों का नुकसान है। दीप हेशर द्वारा अपने लीज स्वीकृत फैंसिंग एरिया में ही कार्य किया जाता है।

कथन किया सो सही समय पर काम आवे।

(हस्ताक्षर)

कथनकर्ता

दिलीप S/O रामदयाल अहिरवार

नि. बावई

कथन

मैं सुनील कुमार S/O श्री प्रेमलाल यादव नि. बावई उम्र 34
व्यवसाय कृषि

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि ग्राम बावई अंतर्गत भूमि ख.नं. 359/1 एवं 359/2 जो मेरे पिता प्रेमलाल तनय सीताराम यादव के नाम है। उक्त भूमि पर मेरे द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। वर्तमान में उक्त भूमि में उर्द की फसल लगी है। दीप हेशर के संचालन से मेरी फसल खेती या जानवर का कोई नुकसान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। न ही जन या पशु हानि हुयी है। दीप हेशर द्वारा अपने स्वीकृत फैंसिंग एरिया में ही कार्य किया जाता है। मेरी जमीन दीप हेशर के ख.नं. 306 से लगी हुयी है।

कथन किया सो सही समय पर काम आवे।

(हस्ताक्षर)

कथनकर्ता

सुनील कुमार S/O प्रेमलाल